



उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छवड़ा जिला बारा (राज.)

पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
41/20	212 RTA	री 937	5057
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
जितेन्द्र	बनाम राज 0 सरकार	2020/00278	

वकील :- D. C. शुक्ला **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
15/9/20	अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट विरुद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण गण को जर्ये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 12/10/2020 को पेश हो।	
3/11/20	अपने पीदासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक ... 2/11/2020 ... को पेश हो। <div style="text-align: center;">  न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छवड़ा (बारा) </div>	
21/11/20	अपने पीदासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक ... 6/10/2020 ... को पेश हो। <div style="text-align: center;">  न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छवड़ा (बारा) </div>	
6/01/21	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रतिवादी गणों को तलवी सम्मन बाद तारीख अप्रारत। पुनः तलवी हेतु तलवीगी भीण ही पेश करें। वास्ते तलवी तलवीगी पत्रावली दिनांक 9/1/21 को पेश हो।	
9/1/21	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रतिवादी गणों के बाद तारीख सम्मन अप्रारत। पुनः तलवी हेतु तलवीगी आज ही पेश करें। वास्ते तलवी/तलवीगी पत्रावली दिनांक 17/1/21 को पेश हो।	

आप पीनानीन अधिकारी के अद्य कार्य के निम्नाह
 बरत होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में
 दिनांक 25/5/24 को पेश हो।

५
 सीडर
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
 छबड़ (बारा)

29522

पत्रावली पेश हुई। कौनसे प्रार्थी अनुपस्थित। तीन बार
 आवेग लगावाई गई। कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण
 अदम्य हालत में अदम्य पैरवी स्वरूप विनि जाया है
 पत्रावली के शेष शुभार प्रेषण दक्षिण दफ्तर हो।